न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2022	06.06.2022	21.06.2022

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र मंगलराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह. नीमराना।
2. रामसिंह पुत्र मंगलराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह. नीमराना।
3. लालचन्द पुत्र मंगलराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह. नीमराना।

—:प्रार्थीगण।

बनाम

1. तहसीलदार साहब,नीमराना जिला अलवर।

:—अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री जितेन्द्र सांगरिया एड0 प्रार्थीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

दिनांक :—21.06.2023

आज पत्रावली ने पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. प्रार्थीगण ने यह प्रा0पत्र अतंर्गत धारा 128,111 आर0टी0एक्ट,1955 के तहत पेश किया है। जबकि आर0टी0एक्ट0,1955 की धारा 128,111 पत्थरगढी के लिए नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,111 मे पत्थरगढी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत अधिनियन व धारा के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो गलत है,परन्तु न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को सही अधिनियन व धारा के तहत मानते हुए निर्णित किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 227/0.28 वाके ग्राम सलारपुर मे स्थित है। जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिसकी सीमा ज्ञान पैमाईश दिनांक 08.07.2016 को तहसीलदार साहब,नीमराना के आदेशनुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसकी नकल संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त पैमाईश के अनुसार मौके पर पुख्ता पत्थरगढी कराना चाहते है। इसलिए सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2016 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जावे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी करने मे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान डाला जावे तो पुलिस इमदाद के साथ पुख्ता पत्थरगढी कराई जावे।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नाटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण वाबजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत 2073—76 के अनुसार आराजी ख0न0 227/0.28 वाके ग्राम सलारपुर नीमराना प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2016 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी को दिनांक 08.07.2016 को सीमाज्ञान कराया गया है। जिस सीमाज्ञान के अनुसार ही मौके पर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतित होता है।

4. **अतः आदेश है कि:—**

प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 227/0.28 वाके ग्राम सलारपुर की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2016 के अनुसार कराये जाने के आदेश तहसीलदार,नीमराना को दिए जाते है। आदेश कि प्रति मय नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2016 तहसीलदार,नीमराना को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

21/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)